चित्रकूट-पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही एवं उनकी टीम द्वारा नाना जी देशमुख श्रद्धाकेन्द्र बन्दरपुर में हुई चोरी के 02 चोर को प्लास्टिक की बोरी में पानी की टोटी 04 टूटा हुआ,02 ताला,01 कुण्डी,01 कटर,03 वासर,04 टूटे पाइप,01 सब्बर,01 कुल्हाड़ी बेंट लगा हुआ सहित 17 टूकड़े सरिया कटे के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

1.पवन वर्मा पुत्र तुलवा वर्मा निवासी रजौला थाना चित्रकूट जिला सतना म0प्र0 उम्र करीब 19 वर्ष

2.देवेन्द्र निषाद पुत्र पिताम्बर निषाद निवासी रजौला थाना चित्रकूट जिला सतना म0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक/समय-</u>

देशमुख श्रद्धाकेन्द्र बन्दरपुर,दिनांक 03.04..2026 समय 17.40 बजे

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय दिनांक 03.04.2026 को वादी रामनारायण यादव पुत्र चुनबाद निवासी बन्दरकोल थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि नानाजी देशमुख श्रद्धाकेन्द्र में चोर घुस गये है,इस सूचना पर चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सूचनाकर्ता रामनारायण यादव से मिलकर मकान के अन्दर घुसे तो 02 व्यक्ति गेट के अन्दर मिले उनसे नाम पता पूंछा गया तो पहले ने अपना नाम 1. पवन वर्मा पुत्र तुलवा वर्मा निवासी रजौला थाना चित्रकूट जिला सतना म0प्र0 उम्र करीब 19 वर्ष तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम 2.देवेन्द्र निषाद पुत्र पिताम्बर निषाद निवासी रजौला थाना चित्रकूट जिला सतना म0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष बताया तथा उनके पास ने टूटा तार,टोटी पीतल/स्टील की पानी की,02 ताला लोहे की,01 कुण्डी,01 कटर,03 वासर,04 टूटे पाइप, 01 सब्बर,01 कुल्हाड़ी बेंट लगा हुआ सहित 17 टूकड़े सरिया कटे हुए करीब 03-03 फीट लम्बी बरामद हुआ। दोनों व्यक्तियों से चोरी करने का कारण पूंछा गया तो दोनों व्यक्तियों ने बताया कि हम दोनों नशे का आदी हूं,शराब पीने के लिए चोरी कर रहा था। दोनों आरोपियों के पास सामाग्री बरामद होने के आधार पर समय 17.40 बजे गिरफ्तार किया गया। वादी मुकदमा रामनारायण यादव की तहरीर पर मु0अ0सं0 331(3),305,324(4)(5),317(2) बीएनएस बनाम 1.पवन वर्मा पुत्र तुलवा वर्मा निवासी रजौला थाना चित्रकूट जिला सतना म0प्र0 उम्र करीब 19 वर्ष 2.देवेन्द्र निषाद पुत्र पिताम्बर निषाद निवासी रजौला थाना चित्रकूट जिला सतना म0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग खोही

2.आरक्षी आशीष कुमार

3.आरक्षी अभिषेक प्रताप

(3). आज दिनाँक 04.03.2026 को अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री चन्द्रशेखर एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार कर्वी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी टीम के विवेचक/ सहविवेचक निरीक्षक श्री राकेश मौर्य व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 657/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336 (3)/340 (2)/316(5)/61(2),238 बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट वांछित अभियुक्त 1.हिमांशू सिंह 2.प्रियांशू सिंह पुत्रगण श्री ओमप्रकाश सिंह निवासीगण लालता रोड खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.निरीक्षक श्री राकेश कुमार मौर्या

2.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह

3.उ0नि0 श्री चन्द्रकान्त शुक्ला

4.मुख्य आरक्षी साकिर हुसैन

5.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109,118(1),115(2),352,351(3) भा0द0वि0 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.04.2026 को वादी सुन्दरलाल पुत्र रामजियावन प्रजापति निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 31.03.026 को समय लगभग 8 बजे रात्रि को वादी अपने खेत मे गेंहू काट रहा था कि इतने में गांव का मनोज पटेल पुत्र रामलाल खेत की डाड पर बुलाया और बैठने के लिए बोला जैसे ही वादी बैठा तो मनोज पटेल ने जान से मारने की नियत से वादी के सिर पर हसिया मार दिया जिसे वादी का सिर बुरी तरह से फट गया है और मनोज की पत्नी व उसका पुत्र अजय ने वादी को जमीन मे पटक दिया और गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से मारा जिससे वादी के मुंह व शरीर मे गंभीर चोटे आयी। इस सूचना पर मेडिकल परीक्षण कराते हुए मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109,118(1),115(2),352,351(3) भा0द0वि0 बनाम 1.मनोज पटेल पुत्र रामलाल 2.मनोज की पत्नी 3.अजय पुत्र मनोज निवासीगण सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.04.2026 को उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व उनकी टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त मनोज कुमार पटेल पुत्र रामलाल निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अंशुल कुमार कोत0 कर्वी

2.आरक्षी राहुल देव

3.आरक्षी इन्दल कुमार

4.विकास यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.जय कुमार पुत्र जीवन लाल कुशवाहा निवासी ग्राम तरौल थाना करछना जिला प्रयागराज, 2.योगेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम खटगियां थाना धूरपुर जनपद प्रयागराज कोएक पीली बोरी मे कुल 10 किलो

ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
2. आरक्षी शाकिर अली
3. आरक्षी शुभम मिश्रा
4. आरक्षी आरक्षी चंदन विश्वकर्मा
5. आरक्षी लवकुश यादव
6. आरक्षी चालक पवन राजपूत

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व उनकी टीम ने मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109,118(1),115(2),352,351(3) भा0द0वि0 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.04.2026 को वादी सुन्दरलाल पुत्र रामजियावन प्रजापति निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि दिनांक 31.03.026 को समय लगभग 8 बजे रात्रि को वादी अपने खेत मे गेंहू काट रहा था कि इतने में गांव का मनोज पटेल पुत्र रामलाल खेत की डाड पर बुलाया और बैठने के लिए बोला जैसे ही वादी बैठा तो मनोज पटेल ने जान से मारने की नियत से वादी के सिर पर हसिया मार दिया जिसे वादी का सिर बुरी तरह से फट गया है और मनोज की पत्नी व उसका पुत्र अजय ने वादी को जमीन मे पटक दिया और गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से मारा जिससे वादी के मुंह व शरीर मे गंभीर चोटे आयी। इस सूचना पर मेडिकल परीक्षण कराते हुए मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109,118(1),115(2),352,351(3) भा0द0वि0 बनाम 1.मनोज पटेल पुत्र रामलाल 2.मनोज की पत्नी 3.अजय पुत्र मनोज निवासीगण सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.04.2026 को उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व उनकी टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त मनोज कुमार पटेल पुत्र रामलाल निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अंशुल कुमार कोत0 कर्वी
2.आरक्षी राहुल देव
3.आरक्षी इन्दल कुमार
4.विकास यादव

(8). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 04.04.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2020 धारा

452,354,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त दीनदयाल पुत्र छेदू निवासी ग्राम शिवरतन का डेरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 6000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 09.11.2020 को थाना मऊ निवासी एक वादी द्वारा थाना पर सूचना दी कि अभियुक्त दीनदयाल पुत्र छेदू निवासी ग्राम शिवरतन का डेरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा वादिया के घर में घुसकर उसकी नाबालिक लड़की के साथ अश्लील हरकत व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गयी। इस सूचना पर मु0अ0सं0 237/2020 धारा 452,354,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 स्व0 तपेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध दिनाँक 23.11.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।